

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 362/15

संस्थापन दिनांक:-01/07/15

फाईलिंग नं. 233504001752015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. भीम पिता रामजी बगाहे, उम्र 40 वर्ष
 2. जितेंद्र पिता भीम बगाहे, उम्र 22 वर्ष
 3. गोविंद पिता भीम बगाहे, उम्र 19 वर्ष
- सभी निवासी सोनाली बुण्डाला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 30.10.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 24.05.2015 को समय 07:30 बजे ग्राम बुण्डाला भीम बगाहे के घर के सामने थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी रामकिशोर और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामकिशोर को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी रामकिशोर को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 24.05.2015 को सुबह 07:30 बजे जियालाल की दुकान से खाने का तेल लेकर वापस आ रहा था जैसे ही वह भीम बगाहे के घर पास पहुंचा तो उसे अभियुक्त भीम मिला और कहा कि एक पाईप क्यों नहीं दे रहा है कहकर इसी बात पर से भीम, उसके लड़के गोविंद तथा जितेंद्र ने उसे गंदी गंदी गाली दी। जिस पर उसने कहा कि तुम्हारे पाईप के पैसे कल सुबह ले लेना गाली मत दो और भीम ने उसे बहनचोद मादरचोद ज्यादा बनता है कहकर हाथ थप्पड़ से मारपीट की। अभियुक्त गोविंद ने उसे लठ से मारा तथा अभियुक्त जितेंद्र ने उसे हाथ थप्पड़ से मारपीट की। मारपीट से उसे सिर, बांये कंधे व पीठ में चोटें आयी।

अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 293/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त गोविंद से एक लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समंगलीबाईमय अभियुक्तगण ने फरियादी रामकिशोर के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी रामकिशोर को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क्र. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 रामकिशोर (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मादरचोद, मां की चूत की गंदी गंदी गालियां दी थी जो सुनने में बुरी लगी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 फरियादी रामकिशोर (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा उसे घटना के समय मादरचोद, मां की चूत की गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं। विधि में अश्लीलता की जो परिसंकल्पना धारा 294 द्वारा की गयी है उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवन्नति की ओर ले जायें, उसमें कामुकता यौन मनोव्यय को पैदा करे लेकिन फरियादी द्वारा बताये गये शब्द इस स्वरूप के नहीं हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **सोबरन विरुद्ध म.प्र. राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्ट नो. 135, विष्णु प्रसाद विरुद्ध म. प्र. राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नो. 148** अवलोकनीय है। इस प्रकार उपर्युक्त न्याय दृष्टांत एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धांत तथा साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गयी गालियों से किसी व्यक्ति को क्षोभ या संत्रास कारित हुआ हो।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 रामकिशोर (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ लाठी, लकड़ी की पटिया और हाथ मुक्कों से मारपीट की थी जिससे उसके सिर, बांये कंधे, पीठ और माथे पर चोट आयी थी। नंदू (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने खाट की पटिया से रामकिशोर को मारा था जिससे उसके सिर, आंख और माथे पर चोट आयी थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 25.05.2015 को सीएचसी आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत रामकिशोर का मेडिकल परीक्षण करने पर आहत की बांयी आंख के उपर 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव पाया था। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से

पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी रामकिशोर (अ.सा.-1) एवं नंदू (अ.सा.-2) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 14.06.2015 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 293/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर फरियादी रामकिशोर की निशादेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तथा दिनांक 24.06.2015 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-6, प्रदर्श पी-7, प्रदर्श पी-8 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षी रामकिशोर और नंदू के कथनों में भी विरोधाभास है जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में बिसन (अ.सा.-4) और वासुदेव (अ.सा.-5) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। यद्यपि साक्षी वासुदेव ने जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है परंतु अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। फलतः अभियोजन को उक्त साक्षीगण से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। न्यायालय के मत में सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में गवाही देने से बचता है। अतः ऐसी स्थिति में मात्र उपर्युक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन का समर्थनन किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है। अतः बचाव अधिवक्ता का तर्क उचित न होने से अमान्य किया जाता है।

13 रामकिशोर (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय दुकान में खाने का तेल लेने के लिए गया था। वापस घर आ रहा था तभी अभियुक्त भीम मिला और पाईप के पैसों पर से विवाद करने लगा तभी अभियुक्त भीम के लड़के गोविंद और जितेंद्र भी आ गये और सभी ने मिलकर लाठी, लकड़ी की पटिया और हाथ मुक्के से मारपीट की। नंदू और बिसन ने बचाव किया था। उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी गयी थी और मेडिकल मुलाहिजा भी हुआ था। नंदू (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त एवं फरियादी के बीच में पाईप के पैसों पर से दो-दो बातें हो रही थी। तभी अभियुक्त भीम की पत्नी आयी और उसने

फरियादी रामकिशोर को एक थप्पड़ मारा तो फरियादी रामकिशोर ने भी भीम की पत्नी को मारा जिससे भीम के लड़के अभियुक्त जितेंद्र और गोविंद को गुस्सा आया और उन्होंने खाट की पटिया से रामकिशोर की पिटाई कर दी।

14 रामकिशोर (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसका और अभियुक्तगण का पाईप को लेकर विवाद है। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अंधेरा होने के कारण वह देख नहीं पाया था कि किसने उसके साथ मारपीट की। यह भी गलत बताया है कि उसे गिरने से चोट आयी थी। यह भी गलत बताया है कि उसके साथ अभियुक्तगण ने कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं की थी। नंदू (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि अभियुक्तगण और फरियादी का पाईप को लेकर विवाद था। घटना के समय अंधेरा था तो वह नहीं देख पाया था कि किसने किसको मारा था। इस सुझाव को गलत बताया है कि वह मौके पर नहीं था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी रामकिशोर को पटिया से मारने की बात पुलिस को बता दी थी।

15 रामकिशोर (अ.सा.-1), नंदू (अ.सा.-2) अभियुक्तगण के द्वारा लाठी की पटिया से मारपीट किये जाने के कथनों पर पूर्णतः अखंडित रहे हैं। यद्यपि साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है परंतु वह तात्विक न होकर सामान्य हैं। रामकिशोर (अ.सा.-1) की साक्ष्य नंदू (अ.सा.-2) के कथनों से एवं चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है। फरियादी रामकिशोर के द्वारा अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन किये गये हैं। फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट बिना विलंब लेख करायी गयी है जिससे अभियुक्तगण को मिथ्या आलिप्त किये जाने की संभावना भी परिलक्षित नहीं होती है। उपर्युक्त परिस्थितियों में यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी रामकिशोर की मारपीट कर उसे उपहति कारित की गयी।

16 अभियुक्तगण द्वारा एक साथ मिलकर पाईप के विवाद पर से फरियादी की मारपीट करना उनके सामान्य आशय को एवं स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उसके अग्रशरण में फरियादी को मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील

शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी रामकिशोर और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रामकिशोर को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी रामकिशोर को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। फलतः अभियुक्तगण भीम, जितेंद्र एवं गोविंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323/34 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

18 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

19 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा तीनों अभियुक्तगण आपस में पिता-पुत्र हैं। अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब परिवार के मजदूर पेशा व्यक्ति हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

20 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

21 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर

नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं तथा अभियुक्तगण लगभग ढाई वर्षों से निरंतर विचारण का सामना कर रहे हैं। आहत को आयी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अतः अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति एवं अपराध की प्रकृति तथा मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण को धारा 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/-500/- रुपये कुल 1,500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उन्हें 15-15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

22 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 100/- रुपये आहत रामकिशोर पिता कमल निवासी सोनोली बुण्डाला थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

23 प्रकरण में जप्तशुदा एक लकड़ी अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

24 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

25 दं०प्र०सं० की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)